

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 695 सन 2021

अनवान :-

1. हरिसिंह पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शान्ति पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर।
2. कलावती पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
3. बादु पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
4. सरस्वती पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
5. सोनादेवी पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
6. लिच्छमा पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
7. शारदा पत्नी आदराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
8. हजाराराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
9. काशीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
10. कमलादेवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
11. महेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
12. गिरदावरी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
13. लिलावती पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
14. कमलादेवी पुत्री भादर जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
15. महेन्द्र पुत्री भादर जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर/टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 02.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 69/71 की कुल 0.3540हैक् में से 1/2 हिस्सा मृतक भादर व खाता संख्या 15/15 की कुल 5.0600हैक् व रोही मौजा चक 16-17 केएनएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 3.7950हैक् मुश्तरका खाते में एव रोही मौजा चक 2 ए बाराणी के खाता संख्या 165/134 की कुल 3.5420हैक् व खाता संख्या 166/128 की कुल 3.759हैक् भूमि मुश्तरका खाते में भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज भादर के नाम से दर्ज थी भादर के देहान्त होने पर उनके वारिसान उनके पुत्र/पुत्रीयो के नाम एक खाते को छोडकर दर्ज हो चुकी है तथा शेष रहे एक खाते में भादर के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 12,13 जो वादी की बहने एवं रामकुमार पुत्र भादर की पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 14,15 वादी की बुआ एवं भादर की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 ने सभी खातो में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की भादर जो वादी के पूर्वज एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज भादर के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर एक खाते को छोड़ कर विरास्तन से उनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है व शेष एक खाते की भूमि को भी विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी हे भादर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से मुशतरका खाते में दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज भादर के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि मुशतरका खाते में उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज हुई एवं एक खाते में उनके पूर्वज भादर के नाम दर्ज है सभी खातों में भूमि जो उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 के हक हिस्सा की भूमि है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण के बहामी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 69/71 के खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.3540 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक दादा का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 15/15 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 5.0600

है० भूमि में पूर्व में दर्ज हिस्से की बजाये प्रतिवादी संख्या 1 के 0.8096 है० दर्ज की जावे तथा 0.3373 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 के ब० हि० ब० दर्ज करवा की जावे व 0.6747 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा 0.3795 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज की जावे व 0.506 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज की जावे तथा 1.1385 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व 2.024 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 16 के एनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5, 7 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के ब० हि० ब० दर्ज किया जावे तथा 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के ब० हि० ब० किया जावे रोही मौजा 2 ए बाराणी तहसील टिब्बी के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 165/134 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.5420 है० भूमि व खाता संख्या 166/128 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.759 है० भूमि भूमि में वादी के मृतक पिता रामकुमार व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 के ब० हि० ब० दर्ज किया जावे तथा 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 2.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... पिचकराई.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हरिसिंह पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शान्ति पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर।
2. कलावती पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
3. बादु पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
4. सरस्वती पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
5. सोनादेवी पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
6. लिछमा पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. शारदा पत्नी आदराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. हजारीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
9. काशीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
10. कमलादेवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
11. महेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
12. गिरदावरी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
13. लिलावती पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
14. कमलादेवी पुत्री भादर जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
15. महेन्द्र पुत्र भादर जाति जाट निवासी चक 16-17 केएनएन /जसाना तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर/टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 695 सन 2021 निर्णय दिनांक- 02.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 69/71 के खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.3540 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक दादा का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 15/15 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है0 भूमि में पूर्व में दर्ज हिस्से की बजाये प्रतिवादी संख्या 1 के 0.8096 है0 दर्ज की जावे तथा 0.3373 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जाती है व 0.6747 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा 0.3795 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज की जावे व 0.506 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज की जावे तथा 1.1385 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 2.024 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5, 7 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज किया जावे तथा 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के ब0 हि0 ब0 किया जावे रोही मौजा 2 ए बाराणी तहसील टिब्बी के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 165/134 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.5420 है0 भूमि व खाता संख्या 166/128 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.759 है0 भूमि भूमि में वादी के मृतक पिता रामकुमार व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज किया जावे तथा 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट...पिचकराई.